सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 21/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2015/00025

अनवान

1. श्री गौतम पिता हीरा जी जोगी, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री गेबीलाल पिता वेलाजी कलाल, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. श्री प्रेमचन्द पिता वेलाजी कलाल, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
3. श्री कानजी पिता वेलाजी कलाल, निवासी खानमीन, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 03-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा खानमीन तहसील खेरवाडा में साबिक आराजी नंबर 877 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है उसमें से 2 बीघा भूमि के लिये आवेदन पत्र कानाजी ने अपने हस्ताक्षर कर पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में नाम वेला पिता कोदरा का लिख कर दिया। इस आराजी में से 2 बीघा जमीन का आवंटन वेला पिता कोदरा के नाम दिनांक 16.02.1975 को किया गया। यह आवंटन बिना कमेटी की राय के किया गया है तथा आवंटन के लिये विधिवत प्रार्थना पत्र ना होते हुय आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। पटवारी ने भी प्रार्थी वेला पिता कोदरा को 2 बीघा जमीन का आवंटन करने हेतु रिपोर्ट की है तथा वेला पिता कोदरा को ही आवंटन किया गया है एवं इसका पट्टा भी वेला पिता कोदरा के नाम 19.11.1976 को जारी किया गया। प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र पर आवंटी के कही भी हस्ताक्षर नही है एवं आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये बिना ही आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया है। उक्त भूमि की किस्म मगरा है एवं इस पर कभी काश्त नही हुई है। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी ही उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। विपक्षीगण एवं उसके पिता द्वारा आवंटन शर्तो की भी अवहेलना की गई है। कथित आवंटन विपक्षीगण के पिता द्वारा धोखे से व मिसरिप्रजेन्टेशन से कराया है। वेला का स्वर्गवास हो चुका है तथा काना व्यापार कर रहा है। वेला भी खानमीन में ही व्यापारी हो दुकान का काम

भी करता था। वेला का भाई गेबीलाल भी भूमिहीन काश्तकार नहीं है तीसरा भाई प्रेमचन्द भी ट्रक किराये पर चलाता है एवं माईन्स भी चलाता है फिर भी इन्हें भूमिहीन मानते हुए वेला के नाम का जो आवंटन किया गया है, जो विधि विपरीत होने से अवैध एवं शून्य है। साबिक आराजी नम्बर 877/1 के हाल आराजी नम्बर 3050, 3053 से 3058, 3060 व 3071 बने है। उक्त आवंटन से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा पत्र जारी हुआ और ना ही कोई तामिल हुई। इस आवंटन के समय कोरम भी पूर्ण नहीं था। इस प्रकार उक्त आवंटन गलत तरीके से होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पिता श्री वेला के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 16.02.1975 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब अप्राप्त रहने से प्रकरण में जवाब विपक्षीगण बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/40 दिनांक 17.01.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम खानमीन की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार खाता संख्या 34 में कानजी, प्रेमचन्द, गेबीलाल पिता वेला कलाल कुल किता 1 रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। गत आराजी संख्या 877/1 क्षेत्रफल 2 बीघा से वर्तमान में भू–माप के अन्तर्गत नवीन आराजी नंबर 3050, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3060, 3061 कुल किता 9 रकबा 0.2800 हेक्टेयर बने है। उभयपक्ष की उपस्थिति में किये गये मौका निरीक्षण अनुसार विवादित आराजीयात मौके पर पड़त है एवं विवादित आराजीयात पर आवंटन के बाद से कभी भी फसल नहीं हुयी है साथ ही आवंटी के अनुसार घास को वादीगण ही ले जा रहे है। तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर से प्रकरण से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली संख्या 1699/1975 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित ना होने से प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 16.02.1975 को किये गये आवंटन को अवैध बताते हुए निरस्त की जाने की मांग की तथा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ संख्या 340

आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ संख्या 497 (डी)

आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ संख्या 497 (सी)

आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ संख्या 237

आर.आर.टी. 2001 (2) पृष्ठ संख्या 1410

आर.आर.टी. 2005 (1) पृष्ठ संख्या 83

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ संख्या 666–ए

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ संख्या 666–डी

आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ संख्या 629

आर.बी.जे.(21) 2014 पृष्ठ संख्या 120

आर.आर.टी. 2009 (1) पृष्ठ संख्या 113

आर.आर.टी. 2009 (1) पृष्ठ संख्या 65

आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ संख्या 764

हमने प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षीगण के पिता श्री वेला को आवंटित साबिक आराजी संख्या 877 रकबा 2 बीघा भूमि का है। आवंटन पत्रावली संख्या 1699/1975 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता श्री वेला पिता कोदरा को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 16.02.1975 को किया गया है। आवंटी के आवंटन हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र पर आवंटी श्री वेला पिता कोदरा के हस्ताक्षर ना हो किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नही है। कब्जा प्राप्तकर्ता में भी किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जाहिर आता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट जिस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर मौजूद है, के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात पर आवंटन के पश्चात् कोई काश्त नहीं हुई है एवं खसरा गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि पड़त है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया आवंटन नियमों की पालना ना होना एवं गलत तरीके से खातेदारी अधिकार दिये जाना जाहिर होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा मौजा खानमीन, तहसील खेरवाडा की साबिक आराजी संख्या 877 रकबा 2 बीघा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल नम्बर 1699/1975 से विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 16.02.1975 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर